संख्या-87/2025/1/923518/2025-71-1001/220/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-1 के अंतर्गत पी0जी0 सीट्स वृद्धि हेतु मेडिकल कालेज आगरा में 16 विभागों में एन0एम0सी0 मानकों को पूर्ण किये जाने हेतु कोबाल्ट 60 ब्रेकीथैरेपी मशीन के क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2024-25/484, दिनांक 09.10.2024 एवं पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2024-25/1159, दिनांक 07.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-186237/2022/71-1001/220/2020, दिनांक 07.06.2022 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-1 के अंतर्गत पी0जी0 सीट्स वृद्धि हेतु मेडिकल कालेज आगरा में 16 विभागों में एन0एम0सी0 मानकों को पूर्ण किये जाने हेतु उपरकणों के क्रय हेतु एस0एन0ए0 खातें में हस्तांरित धनराशि रू0 14,85,11,600/- के सापेक्ष अवशेष/बचत की धनराशि से रेडियोथेरेपी विभाग में कैन्सर मरीजों के सुचारू रूप से उपचार के लिए कोबाल्ट 60 ब्रेकीथैरेपी मशीन (अनुमानित लागत रू0 586.00 लाख) के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुए आवश्यक शासकीय आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-1 के अंतर्गत मेडिकल कालेज आगरा में पी0जी0 सीट्स वृद्धि हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 06.07.2022 द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि से प्रश्नगत उपकरण- **कोबाल्ट 60 ब्रेकीथैरेपी मशीन (अनुमानित लागत रू0 586.00 लाख)** के क्रय किये जाने हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों एवं

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97 (ल030)/2016 दिनांक 26.11.2024 के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है।

3- प्रश्नगत उपकरण के क्रय हेतु योजनान्तर्गत भारत सरकार की दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/ तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।